रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092020-221632
CG-DL-E-09092020-221632

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2702] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2020/भाद्र 16, 1942
No. 2702] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2020/BHADRA 16, 1942

Image Code

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2020

का.आ. 3034(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4153 (अ), तारीख 18 नवम्बर, 2019, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 19 नवम्बर, 2019 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, नयागांव मयूर अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य में बीड जिला के नयागांव तल पटोदा में स्थित है। यह अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य सरकार के अधिसूचना संख्या डब्ल्यू. एल. पी. 1094/सी.आर.236/एफ-1 तारीख 8 दिसंबर, 1994 के तहत अधिसूचित किया गया था। अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 29.90 वर्ग किलोमीटर है;

और, अभयारण्य पक्षी-जीवजंतु के लिए जाना जाता है जिसमें मोर, भारतीय छोटा कॉर्मोरेंट, छोटा इग्रेट, भारतीय पोंड बगुला, ब्लैक विंगेड काईट, स्पार्रोव, पार्रोट, बराहमनी काईट शिकरा, रेड वाटलेंड लेपविंग, सामान्य सैंडपिपर, चित्तीदार कबूतर आदि शामिल हैं। संरक्षित क्षेत्र में मोरों की संख्या लगभग 3000 है;

और, नयागांव मयूर अभयारण्य में अत्यधिक जीवजंतु और वनस्पति विविधता के साथ स्तनधारियों की 15 प्रजातियां, सरीसृपों की लगभग 10 प्रजातियां और उभयचरों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं और इस क्षेत्र की वनस्पति में "दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों" की अधिकता है जिसमें वृक्षों की विभिन्न प्रजातियां जैसे आचार *(बुचानानिया* लांजान*)*, ऐनजान *(टरमैनिया टोमेनटोसा)*, अनजान *(हार्डविकिया बिनाटा)*, अर्जुन *(टर्मिनलिया अर्जुना)*, अमला *(एम्बेलिका ऑफिसिनैलिस)*, बाबुल (*अकैशिया अराबिका), बौर (ज़िज़िफ़स मौरीटिआना),* भिलावा (*सेमिकारपुस अनाकारदीउम),* चंदन *(संतालुम अल्बम),* धवड़ा (*एनोगाइसिस लेटिफोलिया*), दुधी *(राइटिया टेंक्टरोलिया)*, घाट बोर *(ज़िज़िफ़स क्सीलॉपीरा), कलाम्ब* (*मित्राग्याना परविफ़्लोरिया)*, *कंडाल*, कड, कलु *(स्ट्रेकुलिया उरेंस), कसिड* (*कैस्सिया सैमिया),* खैर (*अकाकिया कटेचु),* लोखांडी *(इक्सोरा परविफ्लोरा),* महुवा *(मधु लतीफोलिया),* मेडसिंग (*डोलिचोंडरोन फल्काटा),* नीम (*अज़ाद्रिका इंडिका),* पलास (*बुटिया मोनोस्पर्म*), पंगारा (*एरीथ्रिना इंडिका)*, सागवान (टेकटोना *ग्रैंडिस)*, सलाई (*बोसवेलिया सेर्राटा*), सेमाल (*बॉम्बाक्स सीइबा),* सिसो (*डालबर्गिया सिसो*), तेनडु, टेम्भुरनि *(डायोस्फीरिनस मेलानोक्यलोन),* तिनसा (*ओयगिना अरबोरिया*), कुम्भी *(कारिया अरबोरिया*), अम्बा (*मनिफेरा इंडिका*), चिनच (*टमारिंडुस इंडिका,) उम्बार* (*फिकस* रेकेमोसा), वाड (*फिकस* बेंगालेंसिस), असाना (*ब्राइडलिया रेटुसा*), हिवार (*अकैशिया लेउकोफलोइअ),* मोहि (*लोल्लेअ कोरोमानडेलिका),* बोंडारा (*लेगरस्टोइमिया परविफ्लोरा*), पिपरी (*फिकस तेसिएल*), अपता (*बहुनिया रेकेमोसा),* चिचोरा (*डालबर्गिया पानिकुलाटा*), बेल (*ऐगल मार्मालोस*), बहावा (*कैसिया फिस्टुला*), करंज (*पोंगामिया पिन्नाटा*), जाम्भुल *(सिज़ेगियम क्युमिनि),* सीताफल (*अन्नोना स्कामोसा),* आदि शामिल हैं;

और, यह संरक्षित क्षेत्र महत्त्वपूर्ण पक्षी जीव-जंतु जैसे मोर (पावो *क्रिस्टटस),* काला गिद्ध (*कोरागिप्स* अतराटस), ससाना *(एक्सीपीटर बाडिउस),* गौरैया बाज़ (*एक्सीपीटर निसस),* भारतीय स्केव उल्लू (*स्ट्रीक्स जवानिका*), ग्रीन उल्लू (*स्ट्रिक्स कैंडिडा*), ब्राउन हेडेड किंगफिशर (*पेलारीओप्सिस केपेंसिस),* सामान्य भारतीय किंगफ़िशर (*अलकेडा अथ्थिस),* येलो फ्रंटेड वुड पीकर(*मेलानेरैपेस फ्लाविफ्रोनस*), भारतीय कोयल *(इयडोनमायस स्कोलोपेसस*), रेड व्हिस्कर्ड बुलबुल *(*पयकनोनाटस *जोकोसस*), भारतीय ब्लैक रॉबिन (*कोप्सिकस फुलिकैटस*), ब्लू रॉक कबूतर (*कोलुम्बालिविया*), स्ट्रीप स्ट्रीप (*स्ट्रेपटोपेलिया केपेकोला*), पैंटेड तीतर (*फरांकोलिनोउस पिक्टुस),* ग्रे तीतर (*पेर्डिक्स पेर्डिक्स)***,** वाटर हेन(*अमाउरोर्निस फोइनिकुरूस),* मवेशी इग्रेट (*बुबुलकस इबिस*), छोटा इग्रेट (*इग्रेट ग्राजेट्टा*), ब्लैक विंग्ड काइट (*एलानस कैरूलेउ*)**,** जंगल बुश बटेर (*पेरडिकुला एशियाटिक*), रॉक बुश बटेर (*पेरडिकुला अरगोंडाह*), आदि को भी आश्रय प्रदान करता है;

और, अभयारण्य में मुख्य जीवजंतु काला हिरण (*एन्टिलोप करविकापरा*), भारतीय भेड़िया (*केनिस लुपस पाल्लिपस),* मॉनिटर छिपकली (*वारानुस ग्रिसेउस),* पायथन (*गेनुस पायथन),* भारतीय साही (*हिस्ट्रीक्स इंडिका),* सामान्य लोमड़ी (ग्रे लोमड़ी) (*सेर्डोसायन थोउस),* बनबिलार (*फेलिस चाउस*), धामन (सॉप चूहा) (*पंथेरोफिस अल्लेघानिइंसिस),* भारतीय कोबरा (*नाजा नाजा),* रूस्सेल विपर (*बुंगारूस केइरूलेउस*), मुंजक (*मुनटीक्स मुनतजक*), लकड़बग्घा (*हैना हैना*), नेवला (*हर्पेस्टेडिया),* बनैला सूअर (*सस स्क्रोफ़ा*), फाइव स्ट्रिप्पड़ पाम गिलहरी (*फुनाम्बुलेस पेन्नांटी),* सामान्य भारतीय खरगोश (*लेपुस निगरीकोल्लिस),* खोकड़ (*केनिस ऑरियस),* आदि उपलब्ध हैं;

और, नयागांव मयूर अभयारण्य मानव बसावट और चल रही विकासात्मक क्रियाकलापों के अति निकट होने से अभयारण्य के लिए, उचित सुरक्षा उपायों और ऐसे क्रियाकलापों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है;

और, नयागांव मयूर अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधिता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य के बीड जिला के नयागांव मयूर अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 100 मीटर से 200 मीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार नयागांव मयूर अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 100 मीटर से 200 मीटर है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 28.90 वर्ग किलोमीटर है।

(2) नयागांव मयूर अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण और विस्तार **उपाबंध-I** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के नयागांव मयूर अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख, उपाबंध-IIग** और **उपाबंध-IIघ** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और नयागांव मयूर अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** के सारणी **क** और सारणी **ख** के रूप में उपाबद्ध है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी.-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और

(xii) लोक निर्माण विभाग ।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ और सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.-** आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/ जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) नयागांव मयूर अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि नयागांव मयूर अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

IndiaCode

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में यानीय प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के

IndiaCode

जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं. **(1)**	**क्रियाकलाप** **(2)**	**वर्णन** **(3)**
	अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनकों तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होगी; (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होंगी ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्ठों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
8.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।

आ. विनियमित क्रियाकलाप		
9.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय निवासियों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे:- परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
11.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे ।
13.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
14.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।

indiacode

15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा ।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
17.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
18.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
19.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञा की जाएगी ।
20.	फर्मों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे ।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
23.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
24.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
25.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
26.	वायु और वाहन प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पवनचक्की और टरबाइन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा ।
29.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
30.	वाणिज्यिक सूचना पट्ट और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
	इ. संवर्धित क्रियाकलाप	
31.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकरण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

35.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	निम्नीकृत भूमि एवं वन एवं वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए निगरानी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	**निगरानी समिति का गठन**	**पद**
(i)	जिला कलक्टर, बीड	पदेन, अध्यक्ष;
(ii)	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले पक्षी और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(iv)	शहरी योजना कार्यालय का एक प्रतिनिधि, बीड	सदस्य;
(v)	पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को नामित किया जाना है	सदस्य;
(vii)	मुख्य वन संरक्षक, औरंगाबाद सर्कल	सदस्य;
(viii)	उप वन संरक्षक (वन्यजीव), औरंगाबाद	सदस्य;
(ix)	संभागीय वन अधिकारी, बीड	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश–निबंधन.- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और तत्पश्चात निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

IndiaCode

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे अनुसूची में क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध V में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले कोई आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/53/2017-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

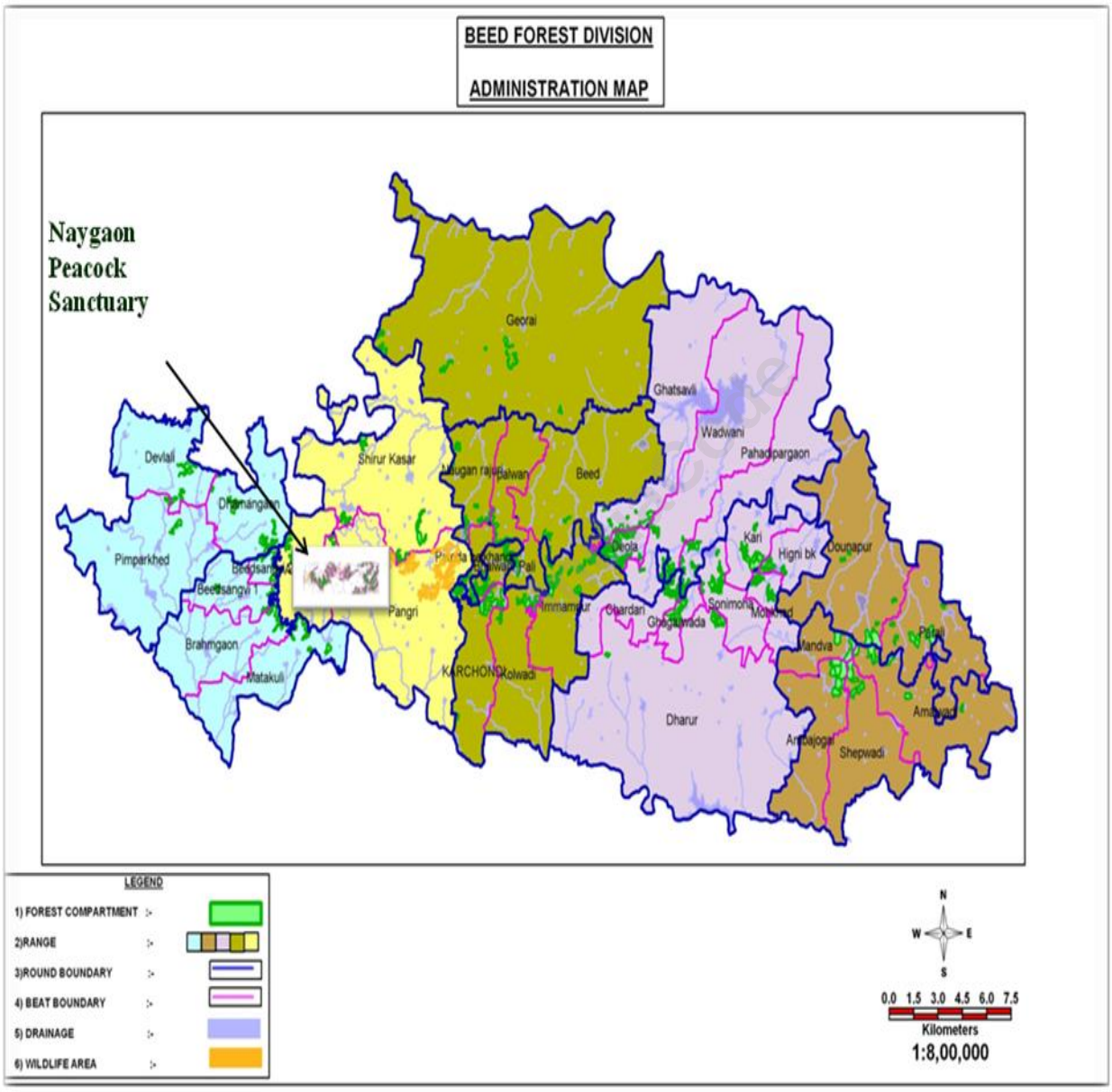
उपाबंध- I

महाराष्ट्र राज्य में नयागांव मयूर अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा पूर्व में रोहोतबड़ी, बेलखंदी पटोदा से लीम्बा रूई और पश्चिम भाग क्षेत्र में वंजरा उगम, जाधववडी, पंगरी, जतनांदूर और उत्तर भाग क्षेत्र में डोगंरकींही, नलवंदी, हत्करवडी, मल्काचीवडी, काकाधीरा और दक्षिण भाग क्षेत्र में परनेर, कूतेवडी, जूम्बली, उम्बरहीरा, वदजरी, करनजवन से थेरला ग्राम तक आरंभ होती है।

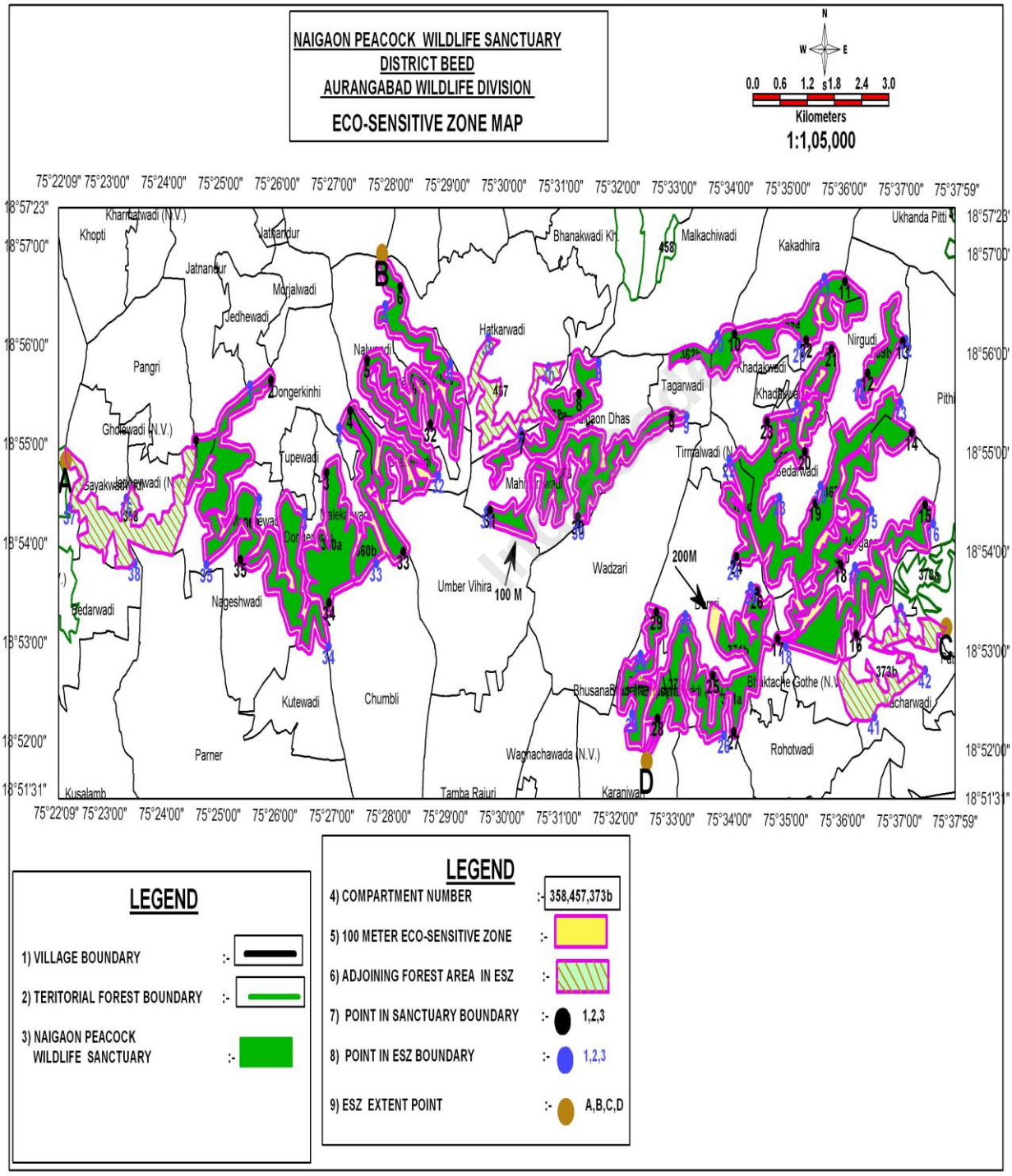
उपाबंध-IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन और नयागांव मयूर अभयारण्य का अवस्थान मानचित्र



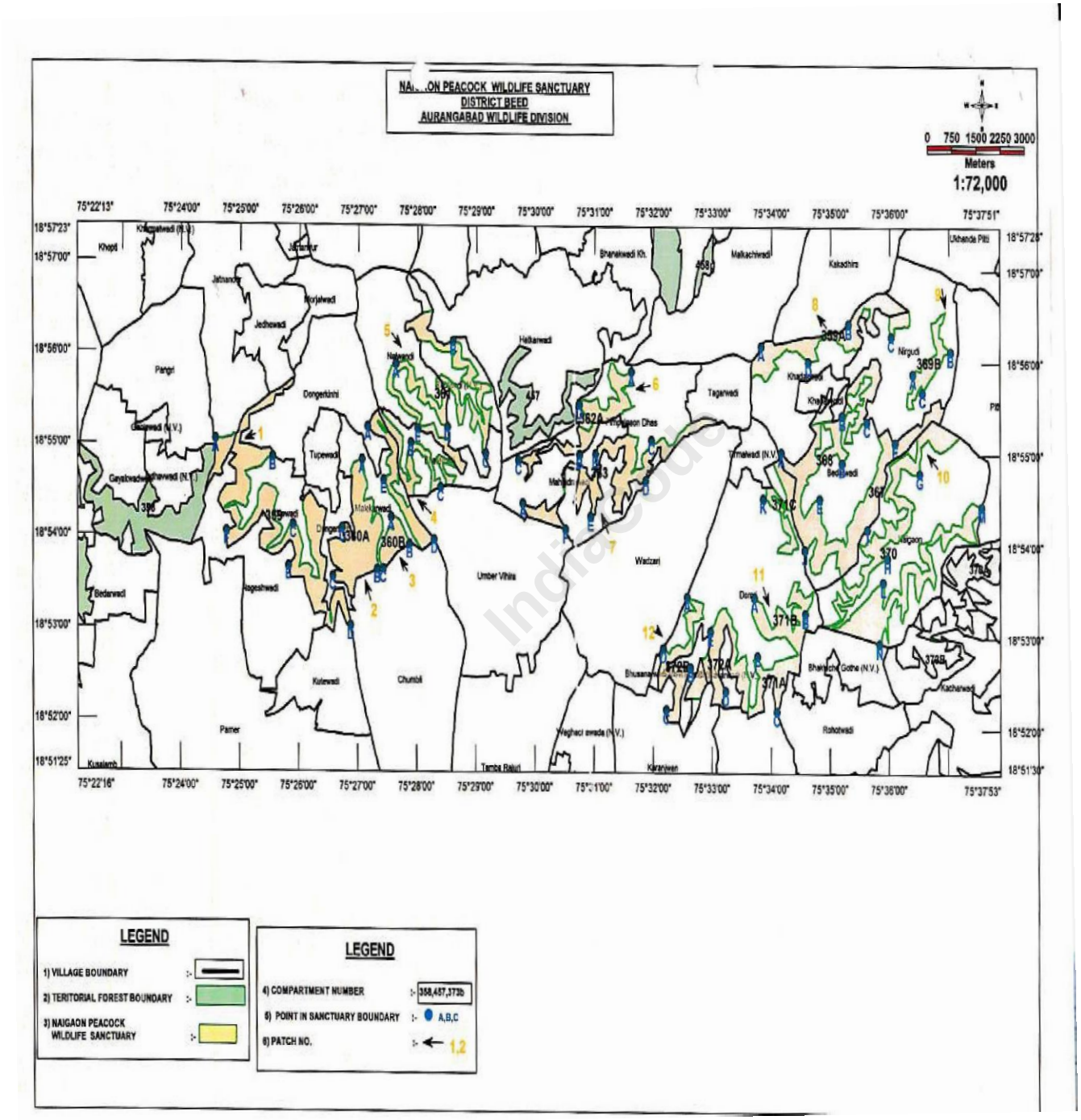
उपाबंध- IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ नयागांव मयूर अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



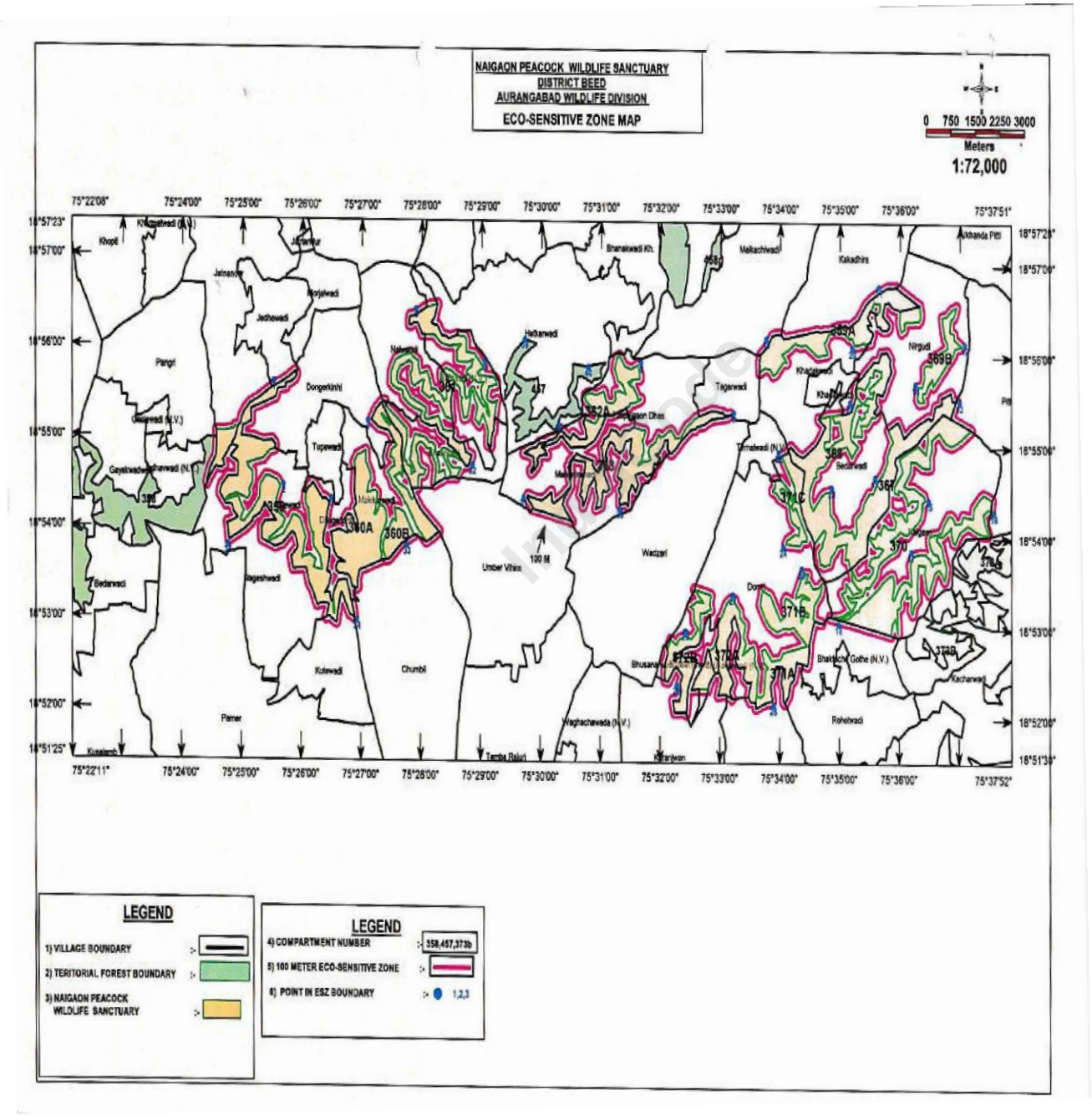
उपाबंध- II ग

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ नयागांव मयूर अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध- IIघ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ नयागांव मयूर अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन को दर्शाने वाला मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: नयागांव मयूर अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	पथ सं.	सं.	देशांतर (पू) अक्षांश (उ)
1.	1	ए	75° 24' 35.119", 18° 55' 04.470"
2.	1	बी	75° 25' 33.509", 18° 54' 53.616"
3.	1	सी	75° 25' 55.030", 18° 54' 09.850"
4.	1	डी	75° 26' 54.504", 18° 53' 03.921"
5.	1	ई	75° 25' 51.276", 18° 53' 43.439"
6.	1	एफ	75° 24' 46.942", 18° 54' 06.021"
7.	2	ए	75° 27' 04.649", 18° 54' 52.641"
8.	2	बी	75° 27' 19.827", 18° 53' 40.094"
9.	2	सी	75° 26' 34.728", 18° 53' 35.586"
10.	2	डी	75° 26' 44.398", 18° 54' 07.823"
11.	3	ए	75° 27' 33.679", 18° 54' 14.502"
12.	3	बी	75° 27' 52.468", 18° 53' 57.045"
13.	3	सी	75° 27' 25.684", 18° 53' 40.732"
14.	4	ए	75° 27' 09.820", 18° 55' 14.104"
15.	4	बी	75° 27' 53.527", 18° 55' 04.322"
16.	4	सी	75° 28' 24.466", 18° 54' 34.556"
17.	4	डी	75° 28' 17.879", 18° 54' 00.893"
18.	4	ई	75° 27' 26.517", 18° 54' 39.778"
19.	5	ए	75° 27' 38.530", 18° 55' 55.538"
20.	5	बी	75° 28' 36.642", 18° 56' 10.491"
21.	5	सी	75° 29' 09.920", 18° 54' 56.955"
22.	5	डी	75° 28' 31.572", 18° 55' 14.419"
23.	5	ई	75° 28' 00.678", 18° 55' 13.328"
24.	6	सी	75° 29' 43.309", 18° 54' 53.195"
25.	6	डी	75° 30' 44.918", 18° 55' 30.018"
26.	6	ए	75° 31' 38.027", 18° 55' 52.284"
27.	6	बी	75° 30' 45.104", 18° 54' 57.780"
28.	7	ए	75° 29' 48.909", 18° 54' 26.398"
29.	7	बी	75° 31' 00.822", 18° 54' 59.474"
30.	7	सी	75° 32' 00.052", 18° 55' 08.528"
31.	7	डी	75° 31' 53.429", 18° 54' 41.552"

IndiaCode

32.	7	ई	75° 30’ 56.705”, 18° 54’ 17.772”
33.	7	एफ	75° 30’ 32.072”, 18° 54’ 09.814”
34.	8	ए	75° 33’ 50.051”, 18° 56’ 10.564”
35.	8	बी	75° 35’ 18.534”, 18° 56’ 26.884”
36.	8	सी	75° 36’ 00.927”, 18° 56’ 18.566”
37.	8	डी	75° 34’ 38.259”, 18° 56’ 00.898”
38.	9	ए	75° 36’ 24.530”, 18° 55’ 53.577”
39.	9	बी	75° 37’ 03.172”, 18° 56’ 08.266”
40.	9	सी	75° 36’ 34.274”, 18° 55’ 41.188”
41.	10	ए	75° 34’ 10.999”, 18° 55’ 00.663”
42.	10	बी	75° 35’ 13.534”, 18° 55’ 25.837”
43.	10	सी	75° 35’ 39.208”, 18° 55’ 21.124”
44.	10	डी	75° 35’ 10.554”, 18° 54’ 54.735”
45.	10	ई	75° 34’ 50.356”, 18° 54’ 30.919”
46.	10	एफ	75° 36’ 07.102”, 18° 55’ 08.361”
47.	10	जी	75° 36’ 33.821”, 18° 54’ 48.453”
48.	10	एच	75° 35’ 59.286”, 18° 53’ 49.800”
49.	10	आई	75° 35’ 37.596”, 18° 54’ 09.871”
50.	10	जे	75° 34’ 34.577”, 18° 53’ 55.610”
51.	10	के	75° 33’ 50.603”, 18° 54’ 29.245”
52.	10	एल	75° 35’ 53.309”, 18° 53’ 36.185”
53.	10	एम	75° 37’ 34.911”, 18° 54’ 25.710”
54.	10	एन	75° 35’ 49.659”, 18° 52’ 54.257”
55.	11	ए	75° 33’ 43.033”, 18° 53’ 24.75°”
56.	11	बी	75° 34’ 35.497”, 18° 53’ 14.724”
57.	11	सी	75° 34’ 06.659”, 18° 52’ 08.577”
58.	11	डी	75° 33’ 14.027”, 18° 52’ 23.463”
59.	11	ई	75° 32’ 57.609”, 18° 53’ 02.290”
60.	11	एफ	75° 33’ 46.308”, 18° 52’ 46.552”
61.	12	डी	75° 32’ 11.542”, 18° 52’ 60.802”
62.	12	सी	75° 32’ 12.788”, 18° 52’ 10.927”
63.	12	बी	75° 32’ 37.597”, 18° 52’ 38.288”
64.	12	ए	75° 32’ 35.585”, 18° 53’ 24.969”

Indiacode

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

बिंदु सं.	देशांतर (पू) अक्षांश (उ)
1.	75° 25' 32.271", 18° 55' 37.665"
2.	75° 25' 41.720", 18° 54' 29.055"
3.	75° 26' 29.392", 18° 54' 20.842"
4.	75° 27' 06.254", 18° 55' 12.219"
5.	75° 27' 55.275", 18° 56' 26.468"
6.	75° 29' 03.393", 18° 55' 51.747"
7.	75° 30' 17.989", 18° 55' 11.205"
8.	75° 31' 40.714", 18° 55' 52.571"
9.	75° 33' 13.994", 18° 55' 20.878"
10.	75° 33' 45.678", 18° 56' 10.452"
11.	75° 35' 38.882", 18° 56' 45.506"
12.	75° 37' 05.524", 18° 56' 08.486"
13.	75° 36' 59.788", 18° 55' 29.277"
14.	75° 36' 15.168", 18° 55' 41.934"
15.	75° 36' 29.706", 18° 54' 24.221"
16.	75° 37' 35.184", 18° 54' 16.923"
17.	75° 36' 12.061", 18° 53' 50.803"
18.	75° 34' 59.513", 18° 53' 01.624"
19.	75° 35' 35.244", 18° 54' 39.753"
20.	75° 35' 12.671", 18° 56' 04.736"
21.	75° 35' 10.399", 18° 55' 29.636"
22.	75° 33' 58.687", 18° 54' 55.075"
23.	75° 34' 51.963", 18° 54' 32.234"
24.	75° 34' 03.329", 18° 53' 52.229"
25.	75° 34' 22.147", 18° 53' 37.993"
26.	75° 33' 54.683", 18° 52' 07.503"
27.	75° 33' 12.812", 18° 53' 20.691"
28.	75° 32' 17.240", 18° 52' 20.174"
29.	75° 32' 25.333", 18° 52' 56.182"
30.	75° 31' 19.447", 18° 54' 15.966"
31.	75° 29' 42.321", 18° 54' 23.061"
32.	75° 28' 50.583", 18° 54' 43.839"
33.	75° 27' 45.770", 18° 53' 50.269"
34.	75° 26' 55.696", 18° 52' 59.698"
35.	75° 24' 46.676", 18° 53' 48.096"

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ नयागांव मयूर अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

बिंदु सं.	अक्षांश(पू) और देशांतर (उ)	ग्राम का नाम
1	75:25:25.607, 18:53:48.634	नागेस्वाडी
2	75:26:37.590, 18:53:01.796	कूतेवड़ी
3	75:27:14.143, 18:53:36.455	चूम्बली
4	75:30:16.084, 18:54:09.333	उम्बर विहीरा
5	75:30:57.623, 18:54:15.606	माहींद्रावाडी
6	75:32:12.172, 18:52:05.432	करनजवन
7	75:33:40.393, 18:52:06.009	थेरला
8	75:34:10.676, 18:52:14.234	रोहोतवाडी
9	75:34:31.360, 18:52:45.965	भाकटचे गोथे
10	75:36:24.021, 18:54:16.768	नाईगांव
11	75:36:59.765, 18:55:18.310	पिथी
12	75:36:56.780, 18:56:29.967	निरगुडी
13	75:35:10.008, 18:54:53.226	बेद्रवाडी
14	75:35:04.305, 18:56:21.492	काकाधीरा
15	75:34:46.461, 18:55:59.198	खादाकवाडी
16	75:33:37.398, 18:55:53.879	तगरवाडी
17	75:34:09.450, 18:53:53.239	डोमरी
18	75:31:37.439, 18:55:32.345	पिम्पालगांव धास
19	75:30:43.228, 18:55:33.579	हत्करवडी
20	75:28:20.919, 18:56:01.761	रौतवाडी
21	75:28:20.464, 18:54:55.942	भातेवाडी
22	75:27:31.615, 18:55:52.138	नालवांडी
23	75:27:08.211, 18:54:41.818	मालेकारवाडी
24	75:25:26.550, 18:55:22.342	डोनगेरकिंही
25	75:25:38.723, 18:54:24.031	मांदवेवाडी
26	75:25:42.422, 18:55:39.930	जधसववाडी
27	75:25:09.915, 18:55:25.007	जटनांदूर
28	75:24:32.727, 18:55:01.307	पंगरी
29	75:37:27.872, 18:52:49.642	कचारवाडी

IndiaCode

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2020

S.O. 3034(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 4153 (E), dated the 18th November, 2019, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 19th November, 2019;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Naygaon Peacock Sanctuary is located in Naygaontal Patoda of Beed District in the State of Maharashtra. The Sanctuary was notified *vide* notification of the State Government of Maharashtra number WLP. 1094/C.R.236/ F-1 dated the 8th December, 1994. The total area of the Sanctuary is 29.90 square kilometres;

AND WHEREAS, the Sanctuary is known for avifauna including peacock, Indian little cormorant, little egret, Indian pond heron, black winged kite, sparrow, parrot, brahmny kite shikra, red wattled lapwing, common sandpiper, spotted dove. etc. The protected area has the peacock population about 3000 numbers;

AND WHEREAS, Naygaon Peacock Sanctuary has very high faunal and floral diversity with about 15 species of mammals, about 10 species of reptiles and many species of amphibian are found and, the flora of this area is represented by "Southern tropical Dry Deciduous Forests" including species like achar (*Buchanania lanzan),* ain (*Termanalia tomentosa),* anjan (*Hardwickia binata),* arjun (*Terminalia arjuna),* amala (*Emblica officinalis),* babul (*Acacia arabica),* bor (*Zizyphus mauritiana),* bhilawa (*Semicarpus anacardium),* chandan (*Santalum album),* dhawada (*Anogeissus latifolia),* dudhi (*Wrightia tinctoria),* ghat bor (*Zizyphus xylopyra),* kalamb (*Mitragyna parvifolia),* kandal, kad, kalu (*Sterculia urens)* kasid (*Cassia siamea),* khair (*Acacia catechu),* lokhandi (*Ixora parviflora),*

mahuwa (*Madhu a latifolia),* medsing (*Dolichondron falcata),* neem (*Azadiracta indica),* palas (*Butea monosperma),* pangara (*Erythrina indica),* sagwan (*Tectona grandis),* salai (*Boswellia serrata),* semal (*Bombax ceiba),* sissoo (*Dalbergia sissoo),* tendu, tembhurni (*Diospyrus melanoxylon),* tinsa (*Ougina arboria),* kumbhi (*Caria arboria),* amba (*Manifera indica),* chinch (*Tamarindus indica),* umbar (*Ficus racemosa),* wad (*Ficus bengalensis),* asana (*Bridalia retusa),* hiwar (*Acacia leucophloea),* mohi (*Lollea coromandelica),* bondara (*Lagerstoemia parviflora),* pipri (*Ficus tsiela),* apta (*Bahunia racemosa),* chichora (*Dalbergia paniculata),* bel (*Aegle marmalos),* bahawa (*Cassia fistula),* karanj (*Pongamia pinnata),* jambhul (*Syzygium cumini),* sitafal (*Annona squamosa),* etc;

AND WHEREAS, the protected area also supports important avifauna such as peafowl (*Pavo cristatus),* black vulture (*Coragyps atratus),* sasana (*Accipiter badius),* sparrow hawk (*Accipiter nisus),* Indian scruck owl (*Strix javanica),* green owl (*Strix candida),* brown headed kingfisher (*Pelariopsis capensis),* common Indian kingfisher (*Alceda atthis),* yellow fronted wood pecker (*Melanerpes flavifrons),* Indian koel (*Eudynamys scolopaceus),* red whiskered bulbul (*Pycnonotus jocosus),* Indian black robin (*Copsychus fulicatus),* blue rock pigeon (*Columbalivia),* ring dove (*Streptopelia capecola),* painted partridge (*Francolinous pictus),* grey partridge (*Perdix perdix),* water hen (*Amaurornis phoenicurus),* cattle egret (*Bubulcus ibis),* little egret (*Egretta garzetta),* black winged kite (*Elanus caeruleu),* jungle bush quail (*Perdicula asiatica),* rock bush quail (*Perdicula argoondah),* etc;

AND WHEREAS, the major fauna available in the Sanctuary are blackbuck (*Antelope cervicapra),* Indian wolf (*Canis lupas pallipes),* monitor lizard (*Varanus griseus),* python (*Genus python),* Indian porcupine (*Hystrix indica),* common fox (grey fox) (*Cerdocyon thous),* jungle cat (*Felis chaus),* dhaman (rat snake) (*Pantherophis alleghaniensis),* Indian cobra (*Naja naja),* Russel's viper (*Bungarus caeruleus),* barking deer (*Muntiacus muntjak),* hyena (*Hyaena hyaena),* mongoose (*Herpestidae),* wild pig (*Sus scrofa),* five stripped palm squirrel (*Funambules pennantii),* common Indian hares (*Lepus nigricollis),* khokad (*Canis aureus),* etc;

AND WHEREAS, the extremely close vicinity of the Naygaon Peacock Sanctuary to human habitation and ongoing developmental activities, necessitate the requirement of proper safeguards and control over such activities;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Naygaon Peacock Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-Sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 100 meters to 200 meters around the boundary of Naygaon Peacock Sanctuary, in Beed district in the State of Maharashtra as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 100 meters to 200 meters around the boundary of Naygaon Peacock Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 28.90 square kilometres.

(2) The extent and boundary description of Naygaon Peacock Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-I.**

(3) The maps of the Naygaon Peacock Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC** and **Annexure-IID.**

(4) List of geo-coordinates of the boundary of Naygaon Peacock Sanctuary and Eco-sensitive Zone is appended as Table **A** and Table **B** of **Annexure III.**

(5) The list of villages falling in the proposed Eco-sensitive Zone along with their geo- co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Maharashtra State Pollution Control Board and
(xii) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the Naygaon Peacock Sanctuary or up to the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Naygaon Peacock Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on Eco -tourism, Eco-education and Eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the

8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and Demolition Waste Management.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The E-Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) Construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Protection Act, 1986 and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	New wood based industry.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in

IndiaCode

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts to be

IndiaCode

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	land area.	made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Air and vehicular pollution.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Wind mills and turbines.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
29.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of degraded land/ forests or habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	District Collector, Beed	Chairman, ex officio
(ii)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of birds or wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(iii)	Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board	Member;

(iv)	A representative of the Town Planning office, Beed	Member;
(v)	A representative of the Department of Environment, Government of Maharashtra	Member;
(vi)	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of one year in each case	Member;
(vii)	Chief Conservator of Forest, Aurangabad Circle	Member;
(viii)	Deputy Conservator of Forest (Wildlife), Aurangabad	Member;
(ix)	Divisional Forest Officer, Beed	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/53/2017-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

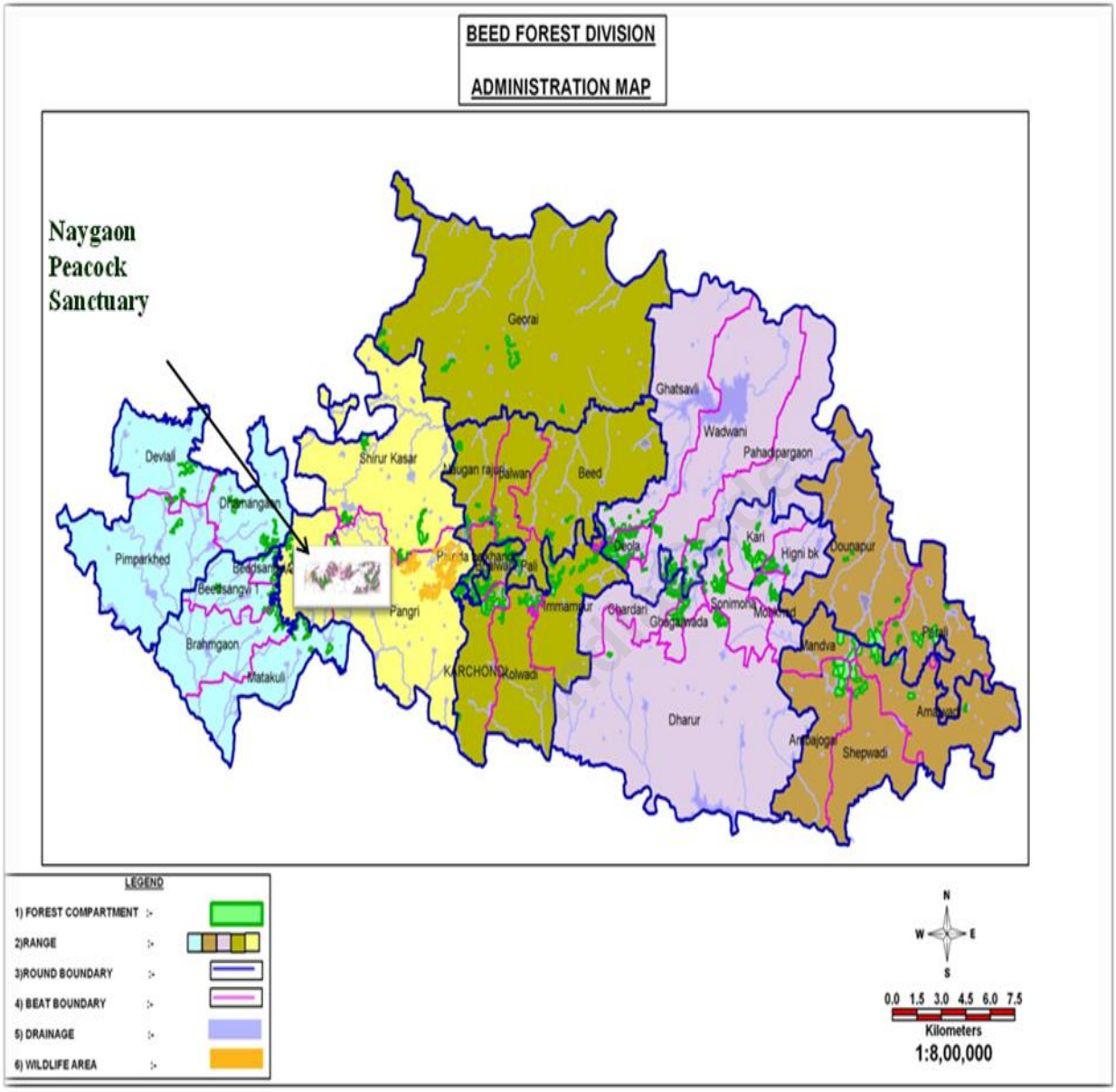
ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECOSENSITIVE ZONE AROUND NAYGAON PEACOCK SANCTUARY IN THE STATE MAHARASHTRA

Eco-sensitive Zone boundary starts from Eest Rohotwadi, Belkhandi patoda to Limba Rui and in west side area of wanjra Ugam, Jadhavwadi, pangri, Jatnandur and in north side Area of Dongarkinhi, Nalwandi, Hatkarwadi, Malkachiwadi, Kakadhira and in south side Area of Parner, Kutewadi, Chumbli, Umberhira, Wadzari, Karanjwan to Therla Village.

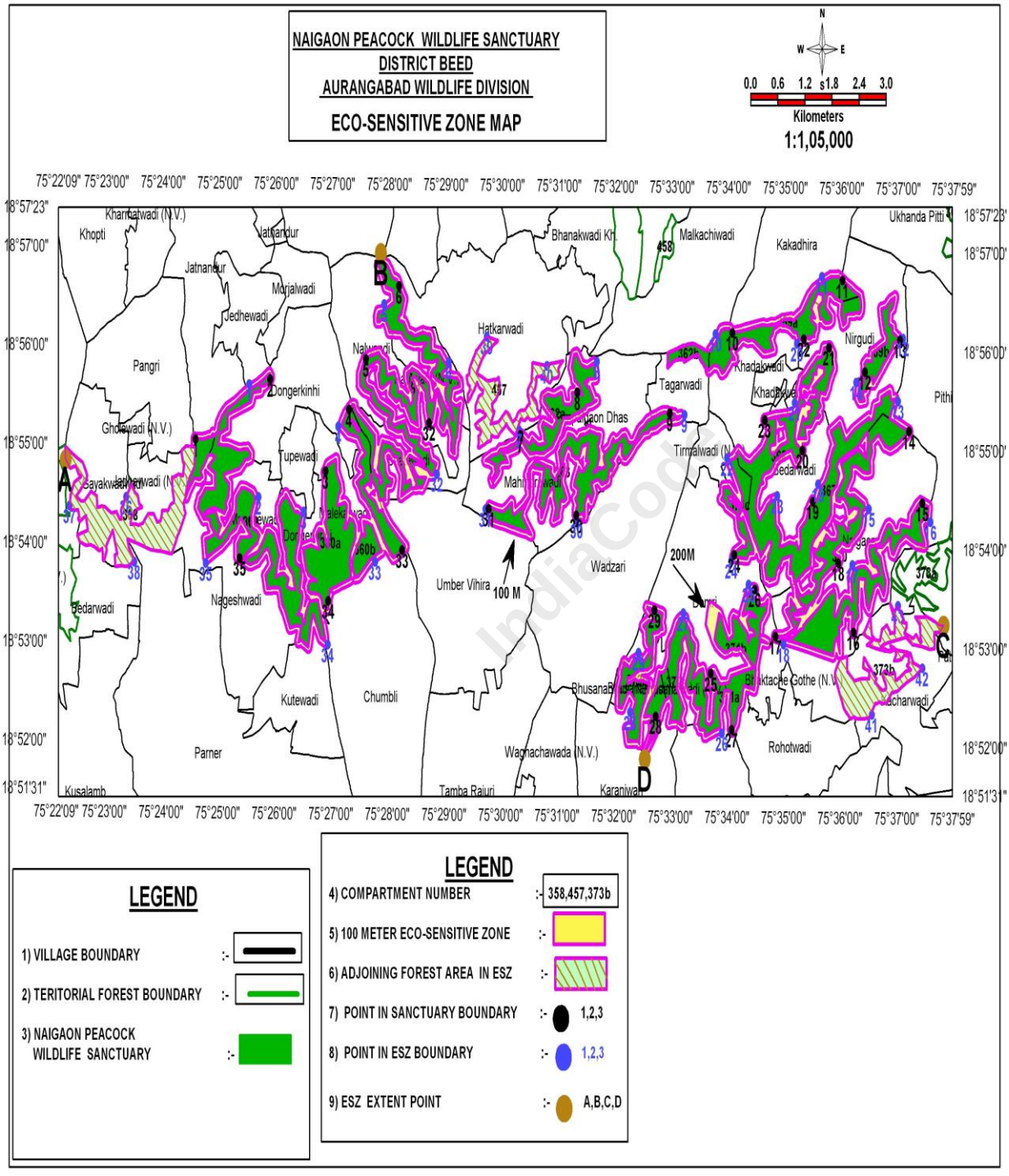
ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF NAYGAON PEACOCK SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



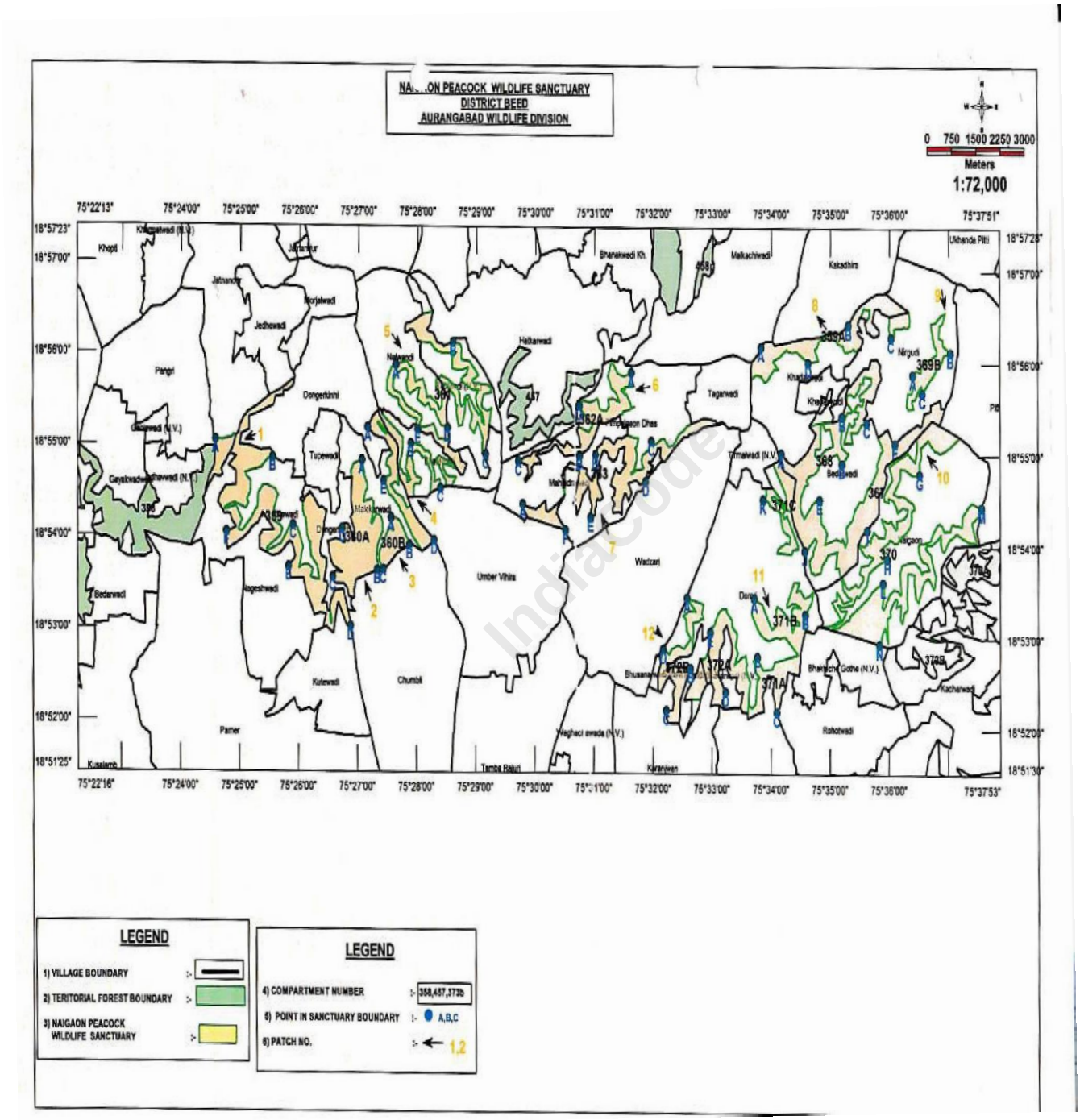
ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NAYGAON PEACOCK SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



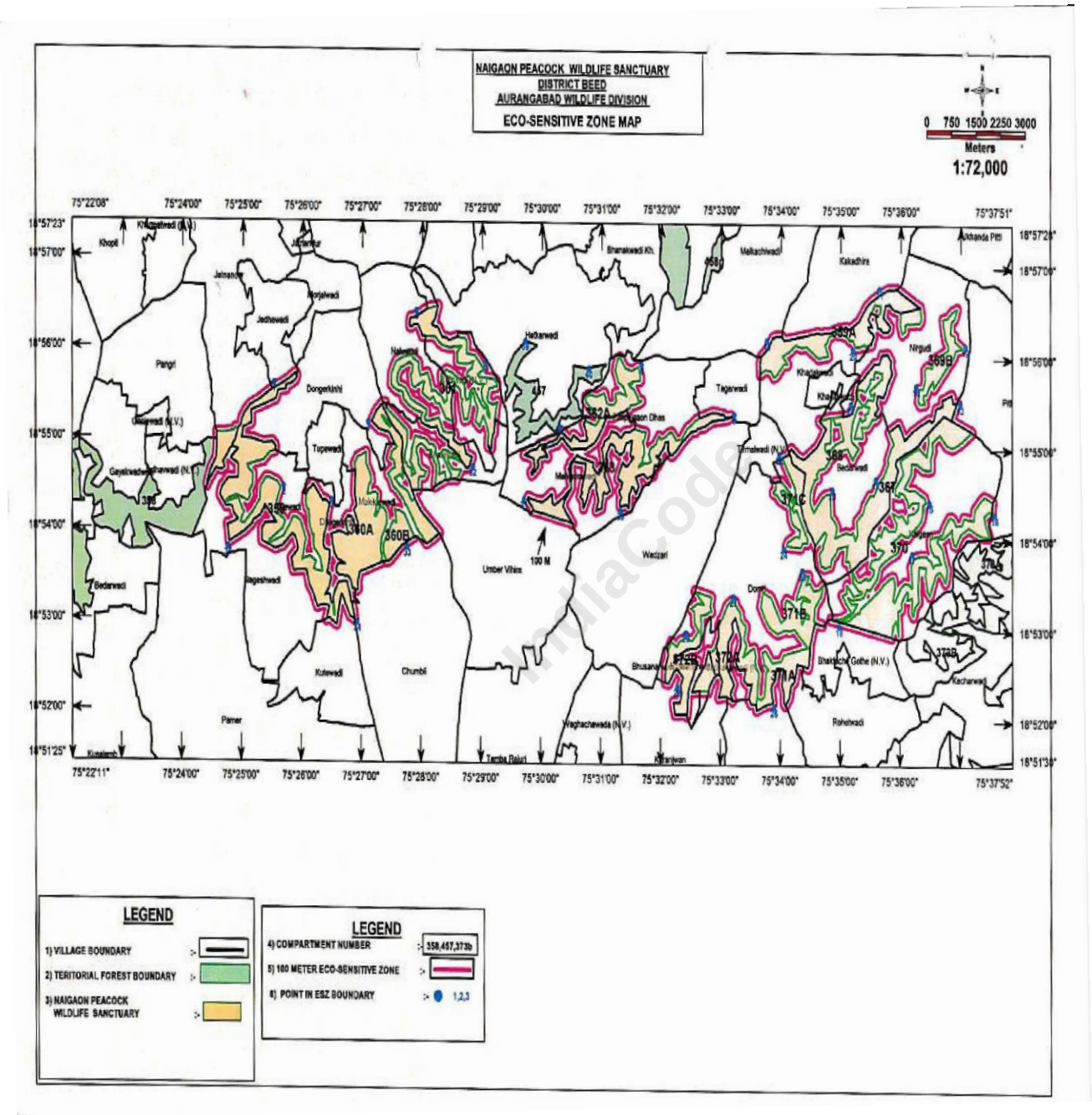
ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NAYGAON PEACOCK SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IID

MAP SHOWING ECO-SENSITIVE ZONE OF NAYGAON PEACOCK SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF NAYGAON PEACOCK SANCTUARY

Sr. No.	Path No.	No.	Longitude (E) Latitude (N)
1.	1	A	75° 24’ 35.119”, 18° 55’ 04.470”
2.	1	B	75° 25’ 33.509”, 18° 54’ 53.616”
3.	1	C	75° 25’ 55.030”, 18° 54’ 09.850”
4.	1	D	75° 26’ 54.504”, 18° 53’ 03.921”
5.	1	E	75° 25’ 51.276”, 18° 53’ 43.439”
6.	1	F	75° 24’ 46.942”, 18° 54’ 06.021”
7.	2	A	75° 27’ 04.649”, 18° 54’ 52.641”
8.	2	B	75° 27’ 19.827”, 18° 53’ 40.094”
9.	2	C	75° 26’ 34.728”, 18° 53’ 35.586”
10.	2	D	75° 26’ 44.398”, 18° 54’ 07.823”
11.	3	A	75° 27’ 33.679”, 18° 54’ 14.502”
12.	3	B	75° 27’ 52.468”, 18° 53’ 57.045”
13.	3	C	75° 27’ 25.684”, 18° 53’ 40.732”
14.	4	A	75° 27’ 09.820”, 18° 55’ 14.104”
15.	4	B	75° 27’ 53.527”, 18° 55’ 04.322”
16.	4	C	75° 28’ 24.466”, 18° 54’ 34.556”
17.	4	D	75° 28’ 17.879”, 18° 54’ 00.893”
18.	4	E	75° 27’ 26.517”, 18° 54’ 39.778”
19.	5	A	75° 27’ 38.530”, 18° 55’ 55.538”
20.	5	B	75° 28’ 36.642”, 18° 56’ 10.491”
21.	5	C	75° 29’ 09.920”, 18° 54’ 56.955”
22.	5	D	75° 28’ 31.572”, 18° 55’ 14.419”
23.	5	E	75° 28’ 00.678”, 18° 55’ 13.328”
24.	6	C	75° 29’ 43.309”, 18° 54’ 53.195”
25.	6	D	75° 30’ 44.918”, 18° 55’ 30.018”
26.	6	A	75° 31’ 38.027”, 18° 55’ 52.284”
27.	6	B	75° 30’ 45.104”, 18° 54’ 57.780”
28.	7	A	75° 29’ 48.909”, 18° 54’ 26.398”
29.	7	B	75° 31’ 00.822”, 18° 54’ 59.474”
30.	7	C	75° 32’ 00.052”, 18° 55’ 08.528”
31.	7	D	75° 31’ 53.429”, 18° 54’ 41.552”
32.	7	E	75° 30’ 56.705”, 18° 54’ 17.772”
33.	7	F	75° 30’ 32.072”, 18° 54’ 09.814”
34.	8	A	75° 33’ 50.051”, 18° 56’ 10.564”
35.	8	B	75° 35’ 18.534”, 18° 56’ 26.884”
36.	8	C	75° 36’ 00.927”, 18° 56’ 18.566”
37.	8	D	75° 34’ 38.259”, 18° 56’ 00.898”
38.	9	A	75° 36’ 24.530”, 18° 55’ 53.577”
39.	9	B	75° 37’ 03.172”, 18° 56’ 08.266”
40.	9	C	75° 36’ 34.274”, 18° 55’ 41.188”
41.	10	A	75° 34’ 10.999”, 18° 55’ 00.663”
42.	10	B	75° 35’ 13.534”, 18° 55’ 25.837”
43.	10	C	75° 35’ 39.208”, 18° 55’ 21.124”
44.	10	D	75° 35’ 10.554”, 18° 54’ 54.735”

45.	10	E	75° 34’ 50.356”, 18° 54’ 30.919”
46.	10	F	75° 36’ 07.102”, 18° 55’ 08.361”
47.	10	G	75° 36’ 33.821”, 18° 54’ 48.453”
48.	10	H	75° 35’ 59.286”, 18° 53’ 49.800”
49.	10	I	75° 35’ 37.596”, 18° 54’ 09.871”
50.	10	J	75° 34’ 34.577”, 18° 53’ 55.610”
51.	10	K	75° 33’ 50.603”, 18° 54’ 29.245”
52.	10	L	75° 35’ 53.309”, 18° 53’ 36.185”
53.	10	M	75° 37’ 34.911”, 18° 54’ 25.710”
54.	10	N	75° 35’ 49.659”, 18° 52’ 54.257”
55.	11	A	75° 33’ 43.033”, 18° 53’ 24.75°”
56.	11	B	75° 34’ 35.497”, 18° 53’ 14.724”
57.	11	C	75° 34’ 06.659”, 18° 52’ 08.577”
58.	11	D	75° 33’ 14.027”, 18° 52’ 23.463”
59.	11	E	75° 32’ 57.609”, 18° 53’ 02.290”
60.	11	F	75° 33’ 46.308”, 18° 52’ 46.552”
61.	12	D	75° 32’ 11.542”, 18° 52’ 60.802”
62.	12	C	75° 32’ 12.788”, 18° 52’ 10.927”
63.	12	B	75° 32’ 37.597”, 18° 52’ 38.288”
64.	12	A	75° 32’ 35.585”, 18° 53’ 24.969”

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Point No.	Longitude (E) Latitude (N)
1.	75° 25’ 32.271”, 18° 55’ 37.665”
2.	75° 25’ 41.720”, 18° 54’ 29.055”
3.	75° 26’ 29.392”, 18° 54’ 20.842”
4.	75° 27’ 06.254”, 18° 55’ 12.219”
5.	75° 27’ 55.275”, 18° 56’ 26.468”
6.	75° 29’ 03.393”, 18° 55’ 51.747”
7.	75° 30’ 17.989”, 18° 55’ 11.205”
8.	75° 31’ 40.714”, 18° 55’ 52.571”
9.	75° 33’ 13.994”, 18° 55’ 20.878”
10.	75° 33’ 45.678”, 18° 56’ 10.452”
11.	75° 35’ 38.882”, 18° 56’ 45.506”
12.	75° 37’ 05.524”, 18° 56’ 08.486”
13.	75° 36’ 59.788”, 18° 55’ 29.277”
14.	75° 36’ 15.168”, 18° 55’ 41.934”
15.	75° 36’ 29.706”, 18° 54’ 24.221”
16.	75° 37’ 35.184”, 18° 54’ 16.923”
17.	75° 36’ 12.061”, 18° 53’ 50.803”
18.	75° 34’ 59.513”, 18° 53’ 01.624”
19.	75° 35’ 35.244”, 18° 54’ 39.753”
20.	75° 35’ 12.671”, 18° 56’ 04.736”
21.	75° 35’ 10.399”, 18° 55’ 29.636”

22.	75° 33’ 58.687”, 18° 54’ 55.075”
23.	75° 34’ 51.963”, 18° 54’ 32.234”
24.	75° 34’ 03.329”, 18° 53’ 52.229”
25.	75° 34’ 22.147”, 18° 53’ 37.993”
26.	75° 33’ 54.683”, 18° 52’ 07.503”
27.	75° 33’ 12.812”, 18° 53’ 20.691”
28.	75° 32’ 17.240”, 18° 52’ 20.174”
29.	75° 32’ 25.333”, 18° 52’ 56.182”
30.	75° 31’ 19.447”, 18° 54’ 15.966”
31.	75° 29’ 42.321”, 18° 54’ 23.061”
32.	75° 28’ 50.583”, 18° 54’ 43.839”
33.	75° 27’ 45.770”, 18° 53’ 50.269”
34.	75° 26’ 55.696”, 18° 52’ 59.698”
35.	75° 24’ 46.676”, 18° 53’ 48.096”

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF NAYGAON PEACOCK SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

IndiaCode

Point No.	Latitude (E) and Longitude (N)	Village Name
1	75:25:25.607, 18:53:48.634	Nageshwadi
2	75:26:37.590, 18:53:01.796	Kutewadi
3	75:27:14.143, 18:53:36.455	Chumbli
4	75:30:16.084, 18:54:09.333	Umber Vihira
5	75:30:57.623, 18:54:15.606	Mahindrawadi
6	75:32:12.172, 18:52:05.432	Karanjwan
7	75:33:40.393, 18:52:06.009	Therla
8	75:34:10.676, 18:52:14.234	Rohotwadi
9	75:34:31.360, 18:52:45.965	Bhaktache Gothe
10	75:36:24.021, 18:54:16.768	Naigaon
11	75:36:59.765, 18:55:18.310	Pithi
12	75:36:56.780, 18:56:29.967	Nirgudi
13	75:35:10.008, 18:54:53.226	Bedarwadi
14	75:35:04.305, 18:56:21.492	Kakadhira
15	75:34:46.461, 18:55:59.198	Khadakwadi
16	75:33:37.398, 18:55:53.879	Tagarwadi
17	75:34:09.450, 18:53:53.239	Domri
18	75:31:37.439, 18:55:32.345	Pimpalgaon Dhas
19	75:30:43.228, 18:55:33.579	Hatkarwadi
20	75:28:20.919, 18:56:01.761	Rautwadi
21	75:28:20.464, 18:54:55.942	Bhatewadi
22	75:27:31.615, 18:55:52.138	Nalwandi

23	75:27:08.211, 18:54:41.818	Malekarwadi
24	75:25:26.550, 18:55:22.342	Dongerkinhi
25	75:25:38.723, 18:54:24.031	Mandvewadi
26	75:25:42.422, 18:55:39.930	Jadhavwadi
27	75:25:09.915, 18:55:25.007	Jatnandur
28	75:24:32.727, 18:55:01.307	Pangri
29	75:37:27.872, 18:52:49.642	Kacharwadi

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA